

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास प्रभाग

क्रमांक: न. ५१३। निधि/३/२०००,

जवाहर, दिनांक: १५. १२. २०००

सचिव,

D.P. नगर विकास नियाम,
राजस्थान, ४१२०१२

महोदय,

उपरोक्त विषयानेमंत्री लेख है कि उत्तिष्ठय संस्थाओं द्वारा
यह जानकारी नहीं गई है कि:-

११। कृषि भूमि के नियमन से संबंधित जो राशि भी जानी है वह भू राजस्व
अधिनियम १९५६ की धारा १०। वा। के तहत खातेदारी अधिकारों को
पर्याप्तता ते पूर्व जमा की जाने अथवा घाट में।

१२। पटटे जारी करने पर पटटे पर कोन अधिकारी हरताथर करने के लिए
अधिकृत होंगे।

इस सम्बन्ध में राजस्थान विधिमानी संघोपसा। अधिनियम १९९९ के
द्वारा भू राजस्व अधिनियम १९५६ में जोड़ी गयी धारा १०। वा। में कृषि
भूमि के नियमन के सम्बन्ध में पूर्ण पुस्तिका वा उल्लेख किया गया है जिसके
अनुसार खातेदारी अधिकारों का पर्याप्तता के उपरान्त ही नियमन राशि
जमा किया जाना उपयुक्त होगा।

विन्दु १२। के सम्बन्ध में हिति स्पष्ट की जाती है कि कृषि भूमि
नियमन की कार्यवाही के उपरान्त जारी किये जाने वाले पटटे पर सचिव,
नगर विकास नगरी तथा नगर परिषद्/निगम/पालिका द्वारा के पुढ़रणों में सम्बन्धित
आपूर्यता/अधिकारी/अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हरताथर
किये जाते हैं।

भवदीय,


उप शासन सचिव,

प्रतिलिपि:-

१. निटेंड, राजनीय विकास को प्रेक्षित कर लेव है कि इसकी
प्रतिलिपि सम्भवत नगर परिषद्/निगम/नगरपालिकाओं को जपने
तार हो भित्तिने ली व्यवस्था करें।
२. अधिकारी/अधिकारी/नगर पालिका तथा भार्योपुर को सुनार्थ
प्रेक्षित है।

उप विधि परामर्शी,